Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 22/2016 सी.आई.एस.क्र.– 22/2016

सुलोचना देवी बनाम सुशीला देवी एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
16.01.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4, 6 से 8, 11 एवं 12 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। अन्य प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.04.2025 को प्रस्तुत आदेश – 22, नियम – 4 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 9 मांगली देवी की मृत्यु दिनांक 07.02.2025 को हो गयी जिसकी सूचना प्रतिवादी की ओर से दिनांक 03.04.2025 को न्यायालय को दी गयी। उक्त प्रतिवादी अपने पीछे अपनी पुत्री प्रमिला देवी, रेखी देवी, पुत्र सुधीर साह, गुलाब साह, विनोद साह को छोड़कर मरी है जो वाद के आवश्यक पक्षकार हैं। अतः निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुये वाद से प्रतिवादी सं0 9 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिउत्तर ने देकर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 03.04.2025 को प्रतिवादी सतीश कुमार की ओर से प्रतिवादी सं0 9 की मृत्यु दिनांक 07.02.2025 को होने की सूचना न्यायालय को दी गयी है। तत्पश्चात वादी की ओर से दिनांक 03.04.2025 को यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी के द्वारा यह आवेदन नियत समयावधि के भीतर लाया गया है। अतः न्यायहित में वादी के इस आवेदन को **स्वीकृत** कर वाद पत्र से प्रतिवादी सं0 9 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को वाद में प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी आदेश के आलोक में संशोधन कर सम्मन सामग्री दाखिल करें। वाद आगामी दिनांक 06.02.2026 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	